प्रेस विज्ञप्ति
24.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (यूपीएससीआईडीसी) और **एचडीएफसी** बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स कंसल्टशाह फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित सावधि जमा के रूप में 50 लाख रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (यूपीएससीआईडीसी) के बैंक खाते से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित है।

ईडी ने यूपीएससीआईडीसी के एचडीएफसी बैंक, लेखराज शाखा, लखनऊ में स्थित खाते से अनधिकृत निकासी के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उप्र पुलिस द्वारा गाजीपुर पुलिस स्टेशन, लखनऊ में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की । इसके बाद, पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर अभय शुक्ला और मेसर्स एआर एसोसिएट्स के मालिक अख्तर हुसैन खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया ।

ईडी की जांच से पता चला है कि फर्जी आरटीजीएस निर्देशों और ग्राहकों के विवरण में हेराफेरी करके यूपीएससीआईडीसी के खाते से 3.81 करोड़ रुपये मेसर्स एआर एसोसिएट्स के दो खातों में निकाले गए। इस राशि में से 2.98 करोड़ रुपये लगातार कई दिनों में कई किस्तों में नकद निकासी के माध्यम से निकाले गए। 50 लाख रुपये नकद में समायोजन प्रविष्टि के बदले मेसर्स कंसल्टशाह फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए। इन गबन किए गए धन की पहचान अपराध की आय (पीओसी) के रूप में की गई, और संपत्तियों के आगे अपव्यय को रोकने के लिए कुर्की की गई।

आगे की जांच जारी है।